



राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(पंचायती राज)

क्रमांक एफ.15(1)पंचावि/विधि/आरक्षण/2014/1636

जयपुर, दिनांक:- 22/12/14

सचिव,
राज्य निर्वाचन आयोग,
राजस्थान, जयपुर ।

विषय:-पंचायती राज संस्थाओं के आम चुनाव वर्ष 2015 में जिला प्रमुखों के पदों के आरक्षण की सूचना बाबत ।

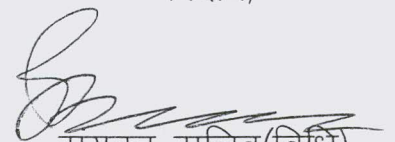
राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा-16 एवं पंचायती राज (निर्वाचन) नियम, 1994 के नियम 10 के तहत पंचायती राज संस्थाओं के आम चुनाव वर्ष 2015 के लिए दिनांक 22.12.2014 को राजस्थान प्रदेश के जिला प्रमुखों के स्थानों के लिए आरक्षण हेतु लॉटरी निकाली गई । लॉटरी के अनुसार आरक्षण निम्न प्रकार हुआ:-

क्र.सं.	जिले का नाम	आरक्षण वर्ग
1	अजमेर	अनुसूचित जाति (महिला)
2	अलवर	अनारक्षित (महिला)
3	बांसवाड़ा	अनुसूचित जनजाति
4	बारां	अन्य पिछड़ा वर्ग
5	बाड़मेर	अनुसूचित जाति (महिला)
6	भरतपुर	अनारक्षित (महिला)
7	भीलवाड़ा	अनारक्षित
8	बीकानेर	अनारक्षित (महिला)
9	बून्दी	अन्य पिछड़ा वर्ग (महिला)
10	चित्तौड़गढ़	अन्य पिछड़ा वर्ग (महिला)
11	चुरू	अनारक्षित
12	दौसा	अनारक्षित (महिला)
13	धौलपुर	अनारक्षित

14	डूंगरपुर	अनुसूचित जनजाति
15	श्रीगंगानगर	अनारक्षित (महिला)
16	हनुमानगढ़	अनारक्षित
17	जयपुर	अनुसूचित जनजाति
18	जैसलमेर	अनुसूचित जाति (महिला)
19	जालोर	अनारक्षित
20	झालावाड़	अनुसूचित जनजाति (महिला)
21	झुंझुनू	अनारक्षित (महिला)
22	जोधपुर	अनारक्षित
23	करौली	अनारक्षित
24	कोटा	अन्य पिछड़ा वर्ग
25	नागौर	अनारक्षित (महिला)
26	पाली	अन्य पिछड़ा वर्ग
27	प्रतापगढ़	अनुसूचित जनजाति (महिला)
28	राजसमन्द	अनुसूचित जाति
29	सवाई माधोपुर	अनारक्षित (महिला)
30	सीकर	अनुसूचित जाति
31	सिरोही	अनारक्षित (महिला)
32	टोंक	अनारक्षित
33	उदयपुर	अनुसूचित जाति

अतः सूचनार्थ प्रेषित है ।

भवदीय,


संयुक्त सचिव(विधि)